(a) whether the Diesel locomotives, which were run by members of the territorial army during the locomen's strike, were damaged; and

(b) if so, the salient features thereof?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD SHAFI QURFSHI) (a) No

(b) Does not arise.

रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्री सहायक केन्द्र खोलने का प्रस्ताव

2754 **श्री फूल चन्द वर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार का विचार रतलाम रेलवे स्टेशन पर यात्री सहायक केन्द्र खोलने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय के उप मंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी नहीं। लेकिन गाड़ियों में आरक्षित स्थान प्राप्त करने में यात्रियों की सहायता करने के उद्देश्य से रतलाम रेलवे स्टेशन पर बड़ी लाइन के प्रत्येक प्लेटफार्म पर पृथक आरक्षण बूथों की व्यवस्था की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मिलावट को रोकने हेतु पुलिस द्वारा पेट्रोल पम्प पर मारे गए छापे

2755 **श्री फूल चन्द वर्मा**
श्री चन्द्र भाल मणी तिवारी:

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या 4 फरवरी, 1974 को दिल्ली पुलिस ने पैट्रोल में मिट्टी का तेल मिलाने के आरोप में कई पैट्रोल पम्पों पर छापे मारे थे,

(ख) अपराधी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है, और

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे आरोप में कितने छापे मारे गए तथा कितने व्यक्तियों के विरुद्ध क्या क्या कार्यवाही की गई?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) 4-2-1974 को पेट्रोल पम्प पर इस तरह का कोई छापा नहीं डाला था।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1971, 1972 और 1973 अर्थात् गत तीन वर्षों के दौरान विमायक तेल का पेट्रोल में अपमिश्रण करने का एक मामला दिनांक 14-11 73 को पंजाबीबाग में पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था जिसमें दो आदमियों को गिरफ्तार किया था। यह मामला न्यायालय में निर्णयाधीन है।

गुना मक्सी रेलवे लाइन चालू करना

2756 **श्री फूल चन्द वर्मा**: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) मध्य प्रदेश की गुना-मक्सी रेलवे लाइन पर यात्री गाड़ियां कब तक चालू कर दी जायेंगी, और

(ख) तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मोहम्मद शफी कुरेशी): (क) और (ख) इस लाइन के 112 21 कि०मी० लंबाई के दो खंड पूरे हो चुके हैं। 61 27 कि० मी० लम्बे शेष भाग पर काम चल रहा है। ऐसी संभावना है कि 1975-76 में किसी समय समूची लाइन बनकर तैयार हो जायेगी और यातायात के लिए खोल दी जाएगी बशर्ते इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो।

लक्षद्वीप तथा अण्डमान प्रदेश में तेल की खुदाई

2757. **श्री फूल चन्द वर्मा**:
श्री सम्भेश्वर बलियार:

क्या पेट्रोलियम और रसायन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार आसाम और अरुणाचल में तेल के खुदाई कार्य के विस्तार और उस का उत्पादन बढ़ाने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं?

पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) जी हां।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने पांचवीं पंचवर्षीय योजना के निमित्त किए जाने वाले कार्यों का एक कार्यक्रम बनाया है जिसमें असम अराकन घाटी क्षेत्र में एक बड़ी मात्रा में तेल अन्वेषण तथा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस का बृहत उत्पादन कार्य भी सम्मिलित है। इसमें भूगर्भीय मान चित्रण के अतिरिक्त 18 पार्टी वर्ष भूकंपीय तथा 5 पार्टी वर्ष गुरुत्व चुम्बकीय क्षेत्र सर्वेक्षण, कुल 0.74 मिलियन मीटर की गहराई तक के 172 अन्वेषी तथा विकास कूपों का व्यधन तथा 0.4 मिलियन टन प्रति वर्ष के उत्पादन का 1978-79 के अन्त तक 2.57 मिलियन टन प्रति वर्ष तक बढ़ाने की योजना है।

भारतीय संविधान और केन्द्रीय कानूनों का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद

2758. **श्री एम० एस० गुरुपदस्वामी**: क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को भारतीय संविधान और केन्द्रीय कानूनों का अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद करने की पूरी छूट दे दी है ताकि साधारण जनता उसे समझ सके और

(ख) यदि हां, तो किस-किस राज्य ने अपनी क्षेत्रीय भाषा में अभी तक उन का अनुवाद नहीं किया है और इस के क्या कारण हैं?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नीतिराज सिंह चौधरी): (क) और (ख). संविधान का विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आरम्भ में राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा तैयार किया गया था और संपृक्त राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणियों के लिए, यदि कोई हो, भेजा गया था। टिप्पणियां प्राप्त हो जाने के पश्चात् संबंधित भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले आयोग के सदस्यों द्वारा संपृक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ आगे विचार-विमर्श किए गए थे और ऐसे विचार-विमर्शों के पश्चात् किए गए विनिश्चयों को ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अनुवादों का अंतिम रूप दे दिया गया है।

केन्द्रीय अधिनियमों का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद, इस प्रयोजनार्थ नियुक्त राज्य सरकारों के अधिकरणों द्वारा तैयार किया जाता है और उसे राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा संपृक्त राज्य सरकारों के परामर्श से अंतिम रूप दिया जाता है। राजभाषा (विधायी) आयोग द्वारा, यथासंभव सभी भारतीय भाषाओं में उपयोग के लिए, तैयार की गई मानक विधिक शब्दावली राज्य सरकार के अधिकरणों द्वारा प्रादेशिक भाषाओं में केन्द्रीय अधिनियमों के अनुवादों में अपनाई जाती है। तथापि जहां किसी विशिष्ट प्रादेशिक भाषा में विशिष्ट विधिक धारणाओं को व्यक्त करने के लिए वहां के जनसाधारण में प्रचलित ऐसी अभिव्यक्तियां हैं जो आयोग द्वारा उन विधिक धारणाओं को व्यक्त करने के लिये तैयार की गई अभिव्यक्तियों से भिन्न हैं तो ऐसी स्थिति में यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह बहुसंख्यक जन समुदाय, जो उस भाषा का प्रयोग करता है, अनुवादों का समझ सके जनसाधारण में प्रचलित अभिव्यक्तियां ही अनुवादों में अपनाई गई हैं।

भारत के संविधान का अनुवाद असामी, बंगला, गुजराती, कन्नड मलयालम मराठी, उड़िया, पंजाबी तमिल और तेलगू में हो चुका है। इन अनुवादों को मुद्रित कराने के लिए कार्यवाही भी आरंभ कर दी गई है। संविधान का उर्दू में अनुवाद तैयार हो चुका है और आशा है कि इसे शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा